उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की दिनांक31.7.99 को सम्पन्न हुई वर्ष 1999 की 173वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 31.7.99 को बैठक प्रारम्भ हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1.	श्री महेश दत्त शर्मा	अध्यक्ष
2.	श्री एन0रविशंकर आवास आयुक्त	सदस्य
3.	श्रीमती माया जगदीश, उप सचिव प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, नगर विकास, उ0प्र0शासन	सदस्य
4.	श्री एम0पी0अनेजा, मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उ0प्र0	सदस्य
5.	श्री एच0सी0पी0श्रीवास्तव मुख्य अभियन्ता प्रतिनिधि- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0जल निगम	सदस्य
6.	श्री एस0के0वर्मा, मुख्य अभियन्ता उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

<u>विशेष आमंत्री के रूप में:-</u>

1.	श्री सुबोध शंकर मुख्य वास्तुविद नियोजक उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य
2.	श्री कृष्णाकर त्रिपाठी वित्त नियंत्रक, उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद	सदस्य

NR
4.8.99.

बैठक में विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत निर्णय लिये गयेः-

क्रमांक	विषय	निर्णय
1	2	3
1.	परिषद की 172वीं बैठक दिनॉक 6.3.99 के के कार्यवृत्त की पुष्टि।	मद संख्या-43 में श्रीमती माधुरी दूबे को कोई प्रतिकर देय नहीं होगा। इस तथ्य का समावेश करते हुए कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2.	परिषद की 172वीं बैठक दिनॉक 6.3.99 की अनुपालन आख्या।	अवलोकित किया गया।
3.	परिषद द्वारा गोरखपुर में विकसित बेतियाहाता (पूर्वी) योजना की जन सुविधायें नगर निगम को हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में।	मद संख्या-3, मद संख्या-4 के क्रमांक 26 पर भी सम्मिलित है।
4.	परिषद के अवलोकनार्थ टिप्पणियों की सूची।	मद संख्या-4में ही क्रमांक30पर धनराशि रू0 22,407.00लाख अंकित है जब कि उसे रू0.224लाख होना चाहिए, इस संशोधन के साथ अवलोकित।
5.	वित्तीय वर्ष1998-99के वास्तविक एवं वर्ष 1999-2000 हेतु प्रस्तावित आय-व्ययक (बजट) के सम्बन्ध में।	चर्चा के दौरान इनफ्रास्ट्रक्चर फण्ड सृजित किये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ तथा यह अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में व्यवहारिक कठिनाइयों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मार्ग दर्शन मॉगा गया है, जो अभी तक प्रतीक्षित है। इस बात पर आम सहमति थी कि इस प्रकार का कोष एक स्थान पर इकट्ठा होने के बजाय विभिन्न मण्डलों में विकास कार्य की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिषद अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे पें.शन फण्ड में रू05.00करोड़ व्यय प्रस्तावित है, इसे संशोधित करते हुए शून्य माने जाने का अनुरोध किया गया, जिसे स्वीकार किया गया। परिशिष्ठ-15 पर ग्राफिक विवरण उपलब्ध कराया गया है, उसे संशोधित किये जाने की आवश्यकता है। आगामी बैठक में पुरानी सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रगति से परिषद को अवगत कराने का भी निर्णय लिया गया। उपरोक्त आबजर्बेसन के साथ वित्तीय वर्ष 1998-99 के वास्तविक एवं 1999-2000 के, आय-व्ययक को अनुमोदित किया गया।
6.	परिषद की योजना संख्या-1 कानपुर में समाविष्ठ ग्राम लखनपुर के आराजी संख्या122जुज भाग में श्रीमती शायरा खातून द्वारा धारा-28 कीविज्ञप्ति के पश्चात अवैध रूप से क्रय की गयी 300वर्ग गज भूमि एवं उस पर स्थित निर्माण के सम्बन्धमें।	पक्के निर्माण के सम्बन्ध में नक्शा सहित स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त करके आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

--3

1	2	3
7.	देहरादून रोड योजना संख्या-1 रुड़की के विस्तार के सम्बन्ध में।	योजना परित्याग करने का निर्णय लिया गया।
8.	परिषद की जागृति विहार योजना संख्या-6 मेरठ में स्थित खसरा संख्या-424 के सम्बन्ध में।	अनुमोदित किया गया।
9.	भूमि खसरा संख्या-516 रकबा 1057 वर्ग गज स्थित औरंगाबाद शाहपुर डिग्गी जागृति विहार योजना संख्या-6 मेरठ के सम्बन्ध में।	व्यवसायिक दर पर आफर करने का निर्णय लिया गया।
10.	महोली योजना संख्या-1 मथुरा में समाविष्ट कब्जा प्राप्त अर्जित भूमि में से 7.77एकड़ भूमि को परिषद अधिनियम-1965 एवं उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन शासन स्तर से अर्जन मुक्त के फलस्वरूप पुनः विचार करने के सम्बन्ध में।	विन्दु-1 के सम्बन्ध में नियमानुसार असुधार शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया। विन्दु 2व3 प्रस्तावानुसार अनुमोदित
11.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	अवलोकित।
12.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु परिषद/शासन की स्वीकृति प्राप्त करने के सम्बन्ध में।	अवलोकित।
13.	चिकित्सा अग्रिम स्वीकृत करने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।	अवलोकित।
14.	विकास नगर/विकास नगर विस्तार योजना-प्रथम लखनऊ में स्वयं वित्त पोषित परियोजना -99 के अर्न्तगत पंजीकरण के आधार पर विभिन्न श्रेणी के 255 नग सेमी फिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अवलोकित।
15.	मंगल पाण्डेय नगर योजना संख्या-1 मेरठ में सेक्टर-3 में खसरा संख्या 5751 में प्रस्तावित 64/137 प्रकार के 32 नग सेमी फिनिश्ड एवं 65/200 प्रकार के 18 नग सेमीफिनिश्ड भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।	अवलोकित।
16.	झूसी योजना संख्या-3 इलाहाबाद के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।	अवलोकित।

--4

NHO
4.8.85

1	2	3
17.	तलपुरा योजना झाँसी के विकास कार्यो की पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अवलोकित।
18.	बसुन्धरा योजना, गाजियाबाद के सेक्टर–19 में स्वयं वित्त पोषित परियोजना–98डी के अन्तर्गत एफ–95 प्रकार के 16 नग फलैट्स की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अवलोकित।
19.	कमलानगर योजना आगरा के सेक्टर–6 में बल्क सेल ग्रुप हाउसिंग समिति के लिए प्रस्तावित भूखण्ड संख्याजी0एच6/1 के आवंटन के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि यदि माननीय न्यायालय का स्थगनादेश अभी तक प्रभावी हो तो शील्ड बिड प्राप्त करके माननीय न्यायालय को अवगत कराने हेतु विधिक अभिमत प्राप्त कर कार्यवाही की जाये, अन्यथा स्थिति में नीलामी द्वारा सम्पत्ति को निस्तारित किया जाये।
20.	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ के सेक्टर25 में प्रस्तावित एक नग धार्मिक भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमोदित किया गया कि 500वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल की दर क्या होगी, इसे परीक्षित कर लिया जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि धार्मिक भूखण्डों की गाइड लाइन्स को पुनरीक्षित कर लिया जाये।
21.	परिषद की योजनाओं में रियायती दरों पर भूमि आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के सरलीकरण के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
22.	बरेली योजना स्थित स्टाफ क्वार्टर संख्या 197 को विदेश मुद्रा में आवंटन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
23.	परिषद की इन्दिरा नगर योजना लखनऊ में सेण्ट्रल एकेडमी को सेक्टर–9 में स्कूल भूखण्ड हेतु 1908 वर्गमीटर भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
24.	जी0टी0बी0नगर योजना इलाहाबाद स्थित भूखण्ड संख्या ए–408/5 के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए निर्णय लिया गया कि क्षेत्रफल की माप के दोषी के विरुद्ध जाँच कर कार्यवाही की जाये।
25.	विनियम 46 के अर्न्तगत विक्रय उपरान्त नामान्तरण की प्रक्रिया में सरलीकरण के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव वापस लिया गया।
26.	परिषद की राजनगर योजना लखीमपुर में श्री नन्द–किशोरअग्रवाल को प्रदिष्ट आवासीय भूखण्ड संख्या 57 तथा श्री जवाहर लाल कोप्रदिष्ट भूखण्ड सं0–58 के विरुद्ध देय दण्ड ब्याज के सम्बन्ध में।	साधारण ब्याज माफ किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

NM
4-8-25

1	2	3
27.	महादेव झारखण्ड योजना गोरखपुर स्थित विभिन्न श्रेणी के अनिस्तारित भवनों के निस्तारण के सम्बन्ध में।	अनुमोदित
28.	भूखण्ड संख्या 14/ए-701 बसुन्धरा योजना गाजियाबाद के भुगतान विकल्प परिवर्तन के सम्बन्ध में।	आवास आयुक्त को निर्णय के लिए अधिकृत किया गया।
29.	श्री सरजू प्रसाद सिंह को भरतपुरी योजना गोण्डा में भवन आवंटन के सम्बन्ध में।	वर्तमान दर पर भवन आवंटित करने का निर्णय लिया गया। सम्बन्धित अवर अभियन्ता के विरुद्ध चल रही जॉच को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
30.	परिषद की राजाजीपुरम योजना लखनऊ स्थित व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 2/सी0पी0-217 के नीलामी/आवंटन के सम्बन्ध में।	विकल्प-2 अनुमोदित।
31.	ले0कर्नल अजीत सिंह को नि:शुल्क भवन आवंटन के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
32.	परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ मे स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 4/563 का आवंटन।	भवन संख्या 4/563 को स्टाफ क्वार्टर के रूप में ही रखे जाने का निर्णय लिया गया। भवन संख्या 2/112 को श्री अब्बासी को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त भवन निरस्तीकरण के बाद इतने वर्षो तक आवंटित क्यों नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने के निर्देश दिये गये।
33.	परिषद की मेरठ स्थित योजनाओं में मेरठ विकास प्राधिकरण की उपविधियों के मुख्य अशों को अपनाया जाना।	प्रस्ताव स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।
34.	राज्य सरकार के समूह"ग" एवं "घ" के कर्मचारियों को सेवा अवधि में अनुमन्य अवकाश नगदीकरण की धनराशि का भुगतान।	अवलोकित।
35.	श्री अब्दुल शकील खॉ, अधिशासी अभियन्ता (वि0यॉ0) को अधीक्षण अभियन्ता (वि0यॉ0) केपद पर पदोन्नति करने के सम्बन्ध में।	अवलोकित।
36.	श्री ए0के0शर्मा, अवर अभियन्ता को मार्ग दुर्घटना में मस्तिष्क में गम्भीर चोट लगने के कारण इलाज पर हुए व्यय के भुगतान हेतु शासन की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अवलोकित।

NM
4-8-21

--6

1	2	3
37.	श्री ए0के0पचौरी, परामर्शदाता की नियुक्ति की निरन्तरता के सम्बन्ध में।	अवलोकित।
38.	परिषद की ट्रान्स यमुना योजना आगरा स्थित अल्प आय वर्ग भवन संख्या ए-306 के विरुद्ध बकाया धनराशि को ब्याज मुक्त किश्तों में वसूली किये जाने के सम्बन्ध में।	अवलोकित।
39.	कानुपर योजना संख्या-1 फतेहगढ़ में ट्रंक ड्रेन बनाने एवं राइजिंग मेन डालने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।	अनुमोदित।
40.	बसुन्धरा योजना गाजियाबाद के सेक्टर-4 में वार्तालोक सहकारी आवास समिति के लिए एफ-76 प्रकार के 48 नग व एफ60 प्रकार के 128 नग (कुल 176नग) चार मंजिला फलैट्स के निर्माण के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
41.	तदर्थ आधार पर नियुक्त चालकों के विनियमिती--करण के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि आरक्षण के सापेक्ष रिक्तियों को सामान्य श्रेणीसे विनियमितीकरण द्वारा नहीं भरा जा सकता।
42.	परिषद कार्मिकों को शासनादेशानुसार मकान किराया भत्ता एवं नगर प्रतिकर भत्ते की पुनरीक्षित दरों पर भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव अनुमोदित। शासन को अवगत करा दिया जाये।
43.	राजाजीपुरम योजना लखनऊ में स्थित स्टाफ क्वार्टर के लिए आरक्षित मध्यम आय वर्ग भवन सी-1557 पंजीकरण संख्या एल0डब्लू0/एम0-4314(8) के विरुद्ध आवंटन के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद को वापस ले लें।
44.	परिषद योजनाओं में सामुदायिक केन्द्र परिषद द्वारा ही निर्मित कर संचालित किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
45.	भूखण्डों को उप विभाजित करने पर अतिरिक्त शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित कि अन्य मामलों में यह व्यवस्था स्वतः लागू नहीं मानी जायेगी।
46.	भूमि विकास एवं गृहस्थान यो0सं0-1 छिबरामऊ में समाविष्ट मौजा देवरम्पुर के खसरा सं0447व 448 में13डी प्लाट के 1/4भाग को अर्जन से मुक्त करने के सम्बन्ध में श्री सत्यनरायन त्रिवेदी के पत्र दिनॉक17.11.98	अनुमोदित।

1	2	3
47.	चन्द्रशेखर आजाद नगर (नेहदौरी) योजना इलाहाबाद में समाविष्ट खसरा संख्या 117 पर स्थित भवन संख्या 107 एफ तेलियरगंज को शासनादेश के अनुसार समायोजन करने के सम्बन्ध में।	शासनादेश के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया।
48.	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान यो0सं0-9 सहारनपुर के धारा-28 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।
49.	परिषद की विकास नगर योजना लखनऊ में स्थित मध्यम आय वर्ग भवन संख्या 4/563 का आवंटन।	मद संख्या-32 के अनुरूप निर्णय लिया गया।
50.	परिषद कार्मिकों को अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हुए शासन का अनुमोदन प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।
51.	परिषद में मस्टर रोल/दैनिक वेतन लिपिक पर 10 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान, मँहगाई-भत्ता एवं अतिरिक्त मँहगाई -भत्ता स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।	समिति की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।
52.	शास्त्रीनगर योजना संख्या-3मेरठ में स्थित धार्मिक भूखण्ड संख्या आर0-4के सम्बन्ध में।	प्रस्ताव का पुन:शूक्ष्मता से परीक्षण करने का निर्णय लिया गया।
53.	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की यो0सं0-1 बड़ौत में समाविष्ट श्री शान्ती सागर धर्मार्थ अस्पताल की भूमि के सम्बन्ध में।	असुधार शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया गया।
54.	मंगल पाण्डेय नगर योजना सं0-1मेरठ में समाविष्ट नजूल भूमि खसरा संख्या 5751 में 1000 वर्ग मी0 भूमि पत्रकार भवन को उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि नियमानुसार आवंटित करने पर विचार किया जाये।
55.	शास्त्रीनगर योजना सं0-7 मेरठ में समाविष्ट खसरा सं0 5867,5868,5869 व 5881की कुल भूमि 9-16-0 वीघा के विकास शुल्क के सम्बन्ध में।	निर्णय लिया गया कि रू022.00लाख जमा करने के पश्चात प्रकरण अगली बैठक में दी जाने वाली राहत की वास्तविक गणना करके प्रस्तुत किया जाये।
56.	तेलीबाग योजना सं0 1व2 एवं प्रस्तावित यो0सं0 3व4 के नामकरण के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।

--8

1	2	3
57.	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की तेलीबाग यो0 सं0-2 में सरदार पटेल शिक्षण समिति की भूमि के सम्बन्ध में।	इस शर्त के साथ अनुमोदित कि अगली बैठक में इसके वित्तीय प्रभाव (Financial implications) से परिषद को अवगत कराया जाये।
58.	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद की तेलीबाग यो0 सं01लखनऊ की 432.52एकड़ भूमि सीधी बात-चीत के माध्यम से क्रय करने के सम्बन्ध में	अनुमोदित।
59.	योजना सं0-10 मेरठ में राजकीय महिला - महाविद्यालय के लिए भूमि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	अनुमोदित।

<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयः-</u>

60.	श्री वी0एन0शर्मा, अधिशासी अभियन्ता को रू0 1.75लाख चिकित्सा अग्रिम दिये जाने के सम्बन्ध में।	श्री शर्मा की गम्भीर प्रकृति की बीमारी को देखते हुए परिषद द्वारा उन्हें रू0 1.75 लाख चिकित्सा अग्रिम/प्रतिपूर्ति स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।
61.	उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद के पूर्णकालिक कर्मचारियों/अधिकारियों को समता समिति(वर्ष1986) की संस्तुतियों के अनुसार शासन द्वारा दिनॉक 1.1.86से निर्धारित किये गये वेतनमानों के आधार पर दिनॉक 1.1.96से वेतनमानों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।	पंचम वेतन आयोग की संस्तुति परिषद में लागू करने के सम्बन्ध में "बाई सरकुलेशन" निर्णय प्राप्त किया जा चुका है। स्थिति से अवगत कराया गया।

पुष्टि की गयी

[signature]

अध्यक्ष